

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

35 सन् 2015 किस्म मुकदमा

पत्रावली न्यायालय बनाम श्यामसुन्दर वगैरह

आदेशिका

हस्ताक्षर

पत्रावली पेश दुर्ग अधिवक्ता शर्मा उपस्थित हैं अधिवक्ता शर्मा द्वारा नोटिस भए कए पेश नही सिपे हैं। पुनः अवसर चाहे है नोटिस भए कए अधिवक्ता AD से लापील हेतु एजे-वले अधि (3) दिवस से पेश को पेश होने पट जारी हो। पत्रावली दिनांक 31-10-19 कोपेश हो।

पत्रावली पेश दुर्ग न्यायालय समय में वाट-वाट भावजे लगावारी गरि परनु जापीया कउने अधिवक्ता कोर्ट उपस्थित नही है। लिहाज प्रकय अधिवक्ता कोर्ट अधि एजरी में खारीज सिपे जात है। पत्रावली फेकल शुका है कए गारुट के सम हो। निर्णय हुके न्यायालय में हुनाप गप।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़ जिला-राजसमन्द

